118

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 496–एक/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–2–2005 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 99/1995–96/निगरानी.

मतगेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री महावीर प्रसाद
निवासी ग्राम पैरा (ददरी) तहसील त्योंथर
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

——— अनावेदक

.....

श्री एस0के0 अवस्थी अभिभाषक आवेदक
श्री अनिल श्रीवास्तव, पैनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/10/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 21–2–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसलदार त्योंथर के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि वह भूमिहीन व्यक्ति है, उसके पास निजी स्वामित्व की कोई भूमि नहीं है अतः ग्राम केचुहा की शासकीय भूमि खसरा कमांक 275/2 रकवा 5.00 एकड़ जिसमें उसका कब्जा दखल है, का व्यवस्थापन उसके नाम स्वीकृत किया जावे। तहसीलदार द्वारा ने

आदेश दिनांक 30–7–87 के द्वारा आवेदक के पक्ष में व्यस्थापन स्वीकृत किया गया। विधान सभा प्रश्न कमांक 696 के उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में कलेक्टर रीवा द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को मंगाकर परीक्षण किया तथा अनियमितता पाते हुये प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया। आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र देने के उपरांत दिनांक 12–2–96 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर भूमि शासन म0प्र0 दर्ज करने के आदेश दिये। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 21–2–2005 से आवेदक की निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों ने रिकार्ड के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया।

4/ अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेते हुये आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया और जबाव प्राप्त करने एवं जांच उपरांत कलेक्टर ने यह पाया कि पटवारी प्रतिवेदन में व्यवस्थापित भूमि पहाड़ दर्ज होने से बिना कलेक्टर की अनुमति के नवइयत परिवर्तन कराये भूमि का व्यवस्थापन करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार ने व्यवस्थापन की कार्यवाही के दौरान इस बात की जांच नहीं की गई कि आवेदक के नाम पूर्व से भूमि दर्ज है। इसी कारण कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर परीक्षण उपरांत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को नियमों व प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने इन्हीं बिन्दुओं पर अभिलेख का परिसीलन उपरांत विस्तार से विवेचना कर कलेक्टर के आदेश को विधिसंगत

माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 21–2–2005 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर